



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 11/2015

**प्रार्थी**

छगुड़ी पत्नी कानाराम, जाति  
जाट निवासी अडिंगो की ढाणी  
खोजानगर, तहसील बिलाड़ा  
जिला जोधपुर

**बनाम**

1. सुरेश कुमार लाखोटिया पुत्र श्री  
सेवाराम लाखोटिया, जाति  
माहेश्वरी, निवासी श्रीकुंज 39 ए  
धर्मनारायणजी का हत्था, पावटा  
जोधपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार  
बिलाड़ा

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

**निर्णय**

**दिनांक :- 24.05.2017**

पत्रावली आज बमुकाम हरियाढाणा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित, उपरोक्त पत्रावली में वकील प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु तारीख पेशी 18.10.2016 को आदेश प्रदान किया गया लेकिन प्रार्थी तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आज दिन तक सम्मन पेश नहीं कर न्यायालय आदेश की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारीज किया जाता है। उपरोक्त विविध प्रार्थना पत्र को राजस्व वाद संख्या 28/2015 के साथ नत्थी किया जावे। पत्रावली फ़ैशलसुमार कर दाखिल दफ़तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा